भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2632

09 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों के मुआवजे में अनियमितताएं

2632. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु राज्य में 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मुआवजा वितरण में असंगतियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो समय पर मुआवजा वितरण और अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार इसके कार्यान्वयन में असंगतियों से बचने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): प्रधानमंत्री बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य दावों का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा आम तौर पर फसल कटाई प्रयोग/फसल कटाई अवधि समाप्त होने के दो महीने के भीतर किया जाता है बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार से उपज आंकड़ों की जानकारी और प्रीमियम राजसहायता में राज्य अंश की समय पर उपलब्ध हो जाए। तथापि, तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों के दावों के निपटान में उपज आंकड़ों को भेजने में विलम्ब होने; कुछ राज्यों द्वारा प्रीमियम राजसहायता में उनके अंश को जारी करने में हुई देरी, बीमा कंपनियों और राज्यों के बीच उपज संबंधी विवादों, दावों संबंधी धनराशि के अंतरण के लिए कुछ किसानों के खाते का विवरण प्राप्त न होने तथा एनईएफटी संबंधी मुद्दों आदि जैसे कारणों से विलंब हुआ है। फिर भी, यह विभाग दावों के समय पर निपटान सहित पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन की

नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। संशोधित प्रचालनत्मक दिशानिर्देशों के तहत बीमा कंपनियों द्वारा दावों के देर से निपटान करने और राज्य सरकारों द्वारा देरी से निधियां जारी करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है जो रबी 2018-19 से लागू हुआ है। केंद्र स्तर पर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) और राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (एसटीएसी) के राज्यों के प्रावधान सहित बीमा कंपनियों और अन्य हितधारकों के बीच उत्पन्न तकनीकी विवादों के निपटान के लिए भी इस योजना के तहत प्रावधान किए गए हैं।

इसके अलावा तमिलनाडु राज्य सरकार ने नामांकन से लेकर दावों के संवितरण तक की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए राज्य व जिला स्तर पर विशेष पीएमएफबीवाई सेल की स्थापना, किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए विशेष संपर्क नंबर, कृषि निदेशक के स्तर पर साप्ताहिक समन्वय/समीक्षा बैठक तथा कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव स्तर पर साप्ताहिक समन्वय/समीक्षा बैठक, बिना विलंब के दावों के संवितरण के लिए बीमा कंपनियों हेतु समयसीमा का निर्धारण, उपज आंकड़ों और राजसहायता के राज्य अंश को समय पर भेजने आदि जैसे विभिन्न उपाय भी किए हैं।

(ग): इस योजना के संशोधित प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में निगरानी और समीक्षा कार्य तंत्र का प्रावधान किया गया है। संबंधित राज्यों की राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (एसएलसीसीसीआई) राज्य में इस योजना की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। जिला स्तर पर योजना की निगरानी के लिए संबंधित राज्यों द्वारा जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) गठित की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर योजना की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी समिति (एनएलएमसी) जिम्मेदार है। इसके अलावा, प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में स्तरीकृत शिकायत समाधान कार्यतंत्र का भी प्रावधान किया गया है।

*****